संख्या- 685 /26-ब0प्र0-2013-21(एससीपी)/2013

प्रेषक

दीनानाथ

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना के कार्यालन्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2099/10/छ:/विविध/12-13 सहारनपुर, दिनांक 07.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति बाहुल्यबस्तियों में मूलभूत सुविधा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद सहारनपुर की नगर पालिका परिषद-देवबंद, नगर निकाय-हरेटी व नगर निकाय-मल्हीपुर रोड की विभिन्न मलिन बस्तियों हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि में से परियोजना की कुल लागत रू0 105.80 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ-6 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 52.90 लाख (रू0 बावन लाख नब्बे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

धनराशि लाख रू0 में

क्रमांक	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती का नाम/ कार्य का विवरण	परियोजना की कुल लागत	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सहारनपुर	न0पा0प0-देवबंद	मौ0 रविदास मार्ग में इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य	38.63	19.315
2	--तदैव--	न0निकाय-हरेटी	जनता रोड भाग-2 में इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य	35.70	17.85
3	--तदैव--	न0निकाय-मल्हीपुर रोड़	पिंजौरा में इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य	31.47	15.735
			योग	105.80	52.90

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेगें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेगें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सकें।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनानतर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम से न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

5. प्रश्नगत परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यो के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्तन आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्ह ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. उक्त अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

7.स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिटखाते/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

8. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

9. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार(लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

11. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त परियोजना की स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जायेगा, जब उक्त परियोजना सम्बन्धित जनपद के शासी निकाय से अनुमोदित हो।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2014 तक व्यय हो सके।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधायें एवं आवास-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-2281/दस-2013, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय
(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या-685 (1)/26-ब0प्र0-2013-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सहारनपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से
(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in